

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Sec. 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 1979/माघ 4, 1900
No. 45] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 1979/MAGHA 4, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार-नियंत्रण

आदेश सं. 4/79

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1979

का. आ. 52 (अ).—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का
18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए, केंद्रीय सरकार आयात-

निर्यात व्यापार (नियंत्रण) आदेश सं. 13/78 दिनांक 3-4-1978 द्वारा प्रकाशित खुले सामान्य लाइसेंस सं. 7/78 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

खुले सामान्य लाइसेंस की शर्त (5) में, निम्नलिखित का बाद में जोड़ा जाएगा :—

“अथवा, उस उपस्कर के मामले में जिसका 28-2-1979 को या उससे पहले की गई और विदेशी मुद्रा के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत पक्की संविदा के मद्दे 31-3-1980 को या इससे पहले पोल लदान किया गया हो।”

[मिसिल सं. आई पी सी/3/15/78]

का. वं शंषात्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 4/79

New Delhi, the 24th January, 1979

S.O. 52(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports Trade (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby makes the following amendments to the Open General Licence No. 7/78, published vide ITC Order No. 13/78, dated 3-4-1978 :—

In condition No. (v) of the OGL, the following shall be added at the end :—

“or, in the case of equipment, shipped on or before 31-3-1980 against a firm contract entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before 28-2-1979;”.

[File No. IPC/3/15/78]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports